

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून

105, चन्दर नगर, देहरादून, दूरभाष संख्या - (0135) 2724506, फ़ैक्स - 2726256, ईमेल - cmodehradun@gmail.com

संख्या: सीएमओ/अ0अ0चि0/2014-15 112011

दिनांक 19.08.2014

सेवा में,

1. उप जिलाधिकारी (विकासनगर)
देहरादून।
2. डॉ० एन.एस.नपलच्याल,
वरिष्ठ चिकित्साधिकारी,
3. श्रीमती अनीता भारती,
औषधि निरीक्षक।


विषय: दिनांक 12.08.2014 व दिनांक 13.08.2014 को किये गये निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय द्वारा दिनांक 12.08.2014 व दिनांक 13.08.2014 को अपंजीकृत व अप्रशिक्षित चिकित्सकों के सम्बन्ध में अभियान चलाकर क्लीनिक/दुकानों को सील किया। उक्त अभियान में इलैक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के क्लीनिक/दुकानों को भी सील किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इलैक्ट्रोहोम्योपैथिक एसोसियन द्वारा उक्त क्लीनिक/दुकानों को खोले जाने का अनुरोध किया जा रहा है।


अतः आप सम्बन्धित क्लीनिकों को पुनः निरीक्षण कर, अगर क्लीनिक अपनी ही विद्या में व शासनादेशानुसार पायी जाती है तो आप सम्बन्धित क्लीनिक/दुकानों को सील मुक्त करने का कष्ट करें।

भवदीय,


मुख्य चिकित्साधिकारी,
देहरादून।
उक्त दिनांक।

संख्या: अ0अ0चि0/2014-15

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य चिकित्साधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून

105, चन्दर नगर, देहरादून, दूरभाष संख्या - (0135) 2724506, फ़ैक्स - 2726256, ईमेल - cmodehradun@gmail.com

संख्या: सीएमओ/अ0अ0चि0/2014-15

दिनांक 2014

-:कार्यालय आदेश:-

इस कार्यालय व जिला प्रशासन को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं थी कि जनपद में कुछ अपंजीकृत व अप्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अपंजीकृत व अप्रशिक्षित चिकित्सकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने हेतु उप जिलाधिकारियों व अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों के नेतृत्व में दलों का गठन किया गया तथा दल द्वारा अपंजीकृत व अप्रशिक्षित चिकित्सकों के क्लीनिक/दुकानों की जाँच की गयी। इस अभियान में दल द्वारा श्री नारायण सिंह निवासी डुमराग, देहरादून स्थित क्लीनिक/दुकान को दिनांक... 08.2014 को सील कर दिया गया।

श्री नारायण सिंह से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की जाँच इस कार्यालय द्वारा की गयी। प्रमाण का अवलोकन करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि श्री नारायण सिंह की क्लीनिक/दुकान पर लगायी गयी सील को इस शर्त व प्रतिबन्ध के साथ खोलने की संस्तुति की जाती है कि श्री नारायण सिंह अपनी ही विद्या में व शासनादेशानुसार ही चिकित्साभ्यास करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा न किये जाने की दशा में किसी निरीक्षण दौरान श्री नारायण सिंह अन्य विद्या/पैथी में चिकित्साभ्यास करते हुये पाये जाते हैं तो इनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(बी.एस.जंगमंगी)
मुख्य चिकित्साधिकारी,
देहरादून।

संख्या: अ0अ0चि0/2014-15

उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य चिकित्साधिकारी,
देहरादून।